

Office of the Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri

TENDER NOTICE

E. Tenders are invited on behalf of Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri from the eligible experience agency / organization / company for the work of collection of garbage from door to door of different House hold commercial / other institutions & transportation of garbage to the SWM Plant.

Sr. No.	Name of Work	Tender document fee	Earnest money deposit	Date of publish	Start & End date of Tender Down-loading	Date of Tender Opening	Time Ltd.
1.	<p>1. नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी इकाईयों जैसे मकानों/व्यवसायिक स्थानों/दुकानों/हस्पताल/फैक्ट्रीयों एवं अन्य इकाईयों से कूड़ा कर्कट उठाना / गलियो व नालियो से निकला कूडा व सिल्ट उठाना /जगह-2 पर रखे डस्टबीनो व अन्य खुले स्थानों से कूडा प्रतिदिन उठाने के लिए तथा एम0एस0डब्ल्यू0 2000 की हिदायतो के अनुसार कूडे का छन्टाव (सैग्रीगेशन) करना होगा तथा उसके उपरांत कूडे को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल (टोस कूडा प्रबन्ध प्लांट) पर अपने साधन द्वारा पहुचाना होगा।</p> <p>2. ठेकेदार/एजैन्सी द्वारा यूजर चार्जिज एकत्रित करना व निगम कोष में प्रतिदिन जमा कराना।</p>	5,000/-	3.00 Lacs	29-12-15 3.00 PM	30.12.15 (Start date) & 06.01.16 (End date) till 4.00 PM	7-1-16 9-00 AM	2 years

Commissioner, Municipal Corporation, Yamuna Nagar-Jagadhri reserves the right to reject any tender without assigning any reason. Other information can be obtained from DNIT.


 Executive Officer,
 for Commissioner,
 Municipal Corporation,
 Yamuna Nagar-Jagadhri.

D.N.I.T.

Scop of work:-

1. नगर निगम, यमुनानगर- जगाधरी अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी इकाईयों जैसे मकानों/ व्यवसायिक स्थानों/ दुकानों/हस्पताल/फैक्ट्रीयों एवं अन्य इकाईयों से कूड़ा कर्कट उठाना / गलियो व नालियो से निकला कूड़ा व सिल्ट उठाना / जगह-2 पर रखे डस्टबीनो व अन्य खुले स्थानों से कूड़ा प्रतिदिन उठाने के लिए तथा एम0एस0डब्ल्यू0 2000 की हिदायतो के अनुसार कूड़े का छन्टाव (सैग्रीगेशन) करना होगा तथा उसके उपरांत कूड़े को नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थल (ठोस कूड़ा प्रबन्ध प्लांट) पर अपने साधन द्वारा पहुंचाना होगा।
2. ठेकेदार/एजैन्सी द्वारा यूजर चार्जिज एकत्रित करना व निगम कोष में प्रतिदिन जमा कराना।

Technical elligibility criteria for Bidder:-

निविदाएं दिनांक 06.01.2016 को ई0 टैन्डरिंग के माध्यम से सायं 4.00 बजे तक ऑनलाईन, etenders.hry.nic.in पर प्राप्त की जायेगी। बिडर को अपने तकनीकी दस्तावेज एवं धरोहर राशि और निविदा फीस नगर निगम कार्यालय में दिनांक 04.01.2016 को सायं 3.00 तक सील बन्द करके लिफाफे में जमा करानी होगी। अन्यथा उसकी बिड नही खोली जायेगी। निविदा फीस जो कि 5,000 रु0 तथा धरोहर राशि 3.00 लाख रु0 है। यह दोनो राशि डी0डी0 के माध्यम से ही जमा होगी। मुख्य शर्ते इस प्रकार है:-

1. निविदाएं केवल उन्ही ठेकेदार/ एजैन्सी को दी जायेगी जो फर्म/एजैन्सी निविदाएं प्राप्त करने हेतू प्रार्थना पत्र देगा तथा प्रार्थना पत्र के साथ निविदादाता के पास वैध लेबर लाईसेंस ई0एस0आई0 नं0, ई0पी0एफ0 नं0, सर्विस टैक्स नं0 तथा पैन नं0 होना चाहिए।
2. निविदाएं केवल उन्ही फर्म/एजैन्सी को दी जायेगी जिनकी निविदादाता का गत 2 वर्ष का इससे संबंधित कार्य का टर्न-ऑवर 5 करोड रुपये का होना चाहिए, जिसके लिए संबंधित एजैन्सी/ ठेकेदार द्वारा बैंक स्टेटमैन्ट अथवा चार्टर्ड अकाउंटैन्ट से सत्यापित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ लगाये हूये हो।
3. संबंधित ठेकेदार व फर्म को 50 हजार से अधिक जनसंख्या के किसी स्थानीय निकाय में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
4. अगर ठेकेदार / फर्म अपने दस्तावेजो की हार्ड प्रति कार्यालय नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी में जमा नही करवाता है, तो उसकी निविदा नही खोली जायेगी।

Financial criteria for Bidder:-

1. ठेकेदार/एजैन्सी को प्रतितन के हिसाब से रेट भरने होंगे।

Terms & Conditions:-


1. नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी प्राप्त टैण्डर के आधार पर एक या एक से अधिक फर्म को अधिकतम दो माह के लिए ट्रायल ओडर भी जारी कर सकता है।
2. शेष शर्ते किसी भी कार्यालय दिवस को मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी के कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

3. ठेकेदार ठेका मिलने उपरांत अपना कार्य किसी अन्य ठेकेदार को सबलैट नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया गया तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
4. ठेकेदार के बिल की अदायगी मुख्य सफाई निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक की सन्तुष्टि रिपोर्ट (पत्र) आने पर ही की जायेगी।
5. यदि प्रति दिन घर-2 से कूड़ा नहीं उठाया गया तो पहली बार 1,000/- रुपये प्रति दिन प्रति घर, दूसरी बार 2,000/- रुपये प्रतिदिन प्रति घर जुर्माना किया जायेगा। जो ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा, यदि फिर भी घर-घर से कूड़ा नहीं उठाया जाता तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
6. ठेकेदार/एजेंसी द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को वेतन मिनीमम वेज एक्ट 1948/डी0सी0 रेट के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।
7. ठेकेदार श्रम कानून व सरकार के नियमों की पालना करने के लिए पाबन्ध होगा।
8. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
9. सफल निविदादाता को 5 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक गारंटी वर्क-आर्डर प्राप्त करने से पूर्व सिक्योरिटी के रूप में जमा करवानी होगी।
10. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों व सूपरवाइजरो की सूची कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
11. ठेकेदार आयुक्त, नगर निगम द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों व समय-2 पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।
12. ठेकेदार द्वारा लगाये गये साधन कूड़ा ले जाते समय कूड़ा ढक कर लेजाना होगा।
13. ठेकेदार द्वारा लगाये गये किसी भी कर्मचारी के साथ कार्य करते समय किसी के साथ विवाद या कियी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। इसमें नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
14. ठेकेदार द्वारा लगाया गया कोई भी कर्मचारी निगम के किसी भी कर्मचारी व अधिकारी के साथ दूर्व्यवहार करता पाया जाता है तो उस कर्मचारी को कार्य से हटाना होगा।
15. ठेकेदार घर-2, गली, नाले से निकले कूड़े को उठाने के लिए स्टाफ, औजार व वाहनों का प्रबन्ध अपने स्तर पर करेगा।
16. ठेकेदार अपने द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को हरियाणा राज्य के कानून के अधीन लागू नियमों के प्रावधानों व जिले के उपायुक्त दर अनुसार ही न्यूनतम वेतन का भुगतान करेगा तथा सभी कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 सम्बन्धित कानून के सभी प्रावधानों के अनुसार ही समय पर करेगा।
17. सफल ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक ना पाये जाने पर आयुक्त, नगर निगम को कार्य द्वितीय ठेकेदार को सौंपने का अधिकार होगा।
18. ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को वर्दी, गलबज, गमबूट व मास्क इत्यादि उपलब्ध करवायेगा।
19. भविष्य में यदि निगम के साधनों से कोई दुर्घटना इत्यादि होती है तो तमाम जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
20. पहले टैक्नीकल बिड खोली जायेगी। दस्तावेज सही पाये जाने पर फाईनैन्शियल बिड खोली जायेगी।

21. आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर को यूजर चार्जिज बढाने व घटाने का अधिकार होगा।
22. सफल ठेकेदार/एजैन्सी को 10 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित रूप में इकरारनामा करके कार्य शुरू करना होगा।
23. सफल ठेकेदार/एजैन्सी ठेका अवधि समय से 90 दिन से अधिक की बैंक गारन्टी जमा करवाने के लिये बाध्य होगा।
24. यदि किसी कारण वश सफल ठेकेदार/एजैन्सी ठेका बीच में छोड़ता है तो उस अवस्था में नगर निगम को द्वितीय ठेकेदार/एजैन्सी को उन्ही दरों व शर्तों पर ठेका देने का अधिकार होगा तथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
25. ठेकेदार/एजैन्सी द्वारा निविदा के समय प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में किसी भी समय कोई कमी पाई जाती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा। ठेकेदार/एजैन्सी को किसी भी प्रकार के क्लेम का कोई अधिकार नहीं होगा।
26. ठेकेदार/एजैन्सी द्वारा निविदा के समय प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में किसी भी समय कोई कमी पाई जाती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा। ठेकेदार/एजैन्सी को किसी भी प्रकार के क्लेम का कोई अधिकार नहीं होगा।
27. ठेकेदार को बिल की अदायगी मासिक आधार पर की जायेगी।
28. ठेकेदार निगम में किसी भी विवाद की स्थिति में निर्देशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकूला का निर्णय दोनों पक्षों को मंजूर होगा।
29. नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदाओं को रद्द कर सकती है, जिसके लिए संबंधित फर्म/एजैन्सी को एतराज ना होगा।
30. ठेकेदार व फर्म को स्वयं कूड़ा उठाने से संबंधित साधनों का प्रबन्ध स्वयं ही करना होगा।
31. निविदादाता ठेकेदार / फर्म अपने कर्मचारियों तथा वाहनो का नियमानुसार बीमा इत्यादि करवाने के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा किसी भी सूरत में नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी की कोई देनदारी नहीं होगी।
32. ठेकेदार के पास उक्त कार्य में उपयुक्त होने वाले सभी संसाधनों की सुचि (मत्कियत/लीज सहित) उपलब्ध करवायेगा।
33. ठेकेदार द्वारा 2 शिकायत केंद्र खोलने होंगे जिसमें एक यमुनानगर दूसरा जगाधरी खोलना होगा तथा सभी शिकायत केंद्रों पर 1-1 कम्प्यूटर, ऑपरेटर सहित रखना होगा व नियुक्त किये गये सुपरवाइजरो के मो0 नं0 निगम कार्यालय व संबंधित प्रार्थदो को उपलब्ध करवायेगा।
34. कूड़े को उठाने के लिये ठेकेदार को खुद के साधन लगाने होंगे व निगम के पास निम्न साधन(8 ट्रैक्टर ट्रॉली, 6 डम्पर प्रैसर, 4 रिफ्युज कुलैक्टर) है जो ठेकेदार द्वारा लिये गये ठेके में सम्मिलित साधनों के साथ शामिल करने होंगे तथा उपायुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किराया देना होगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा दिये गये साधनों पर ठेकेदार ड्राइवर, हैल्पर, डीजल, बीमा व रख-रखाव का प्रबन्ध स्वयं करेगा।
35. ठेकेदार को नगर निगम के वाहन चालू हालत में दिये जायेंगे व ठेका समाप्त होने उपरान्त ठेकेदार भी वाहन चालू हालत में वापिस करेगा व ठेकेदार को नगर निगम के साधनों का बीमा करवाना होगा।

36. ठेकेदार को डिस्पोजल स्थान(सॉलिड वेस्ट प्लान्ट) का लेवल जे.सी.बी. मशीन द्वारा प्रतिदिन कराना होगा।
37. ठेकेदार निर्धारित स्थल पर पहुंचाये गये कूड़ा-कर्कट का पूर्ण विवरण प्रतिदिन कार्यालय में देगा। कूड़ा तुलाई का कार्य प्लान्ट में लगाये गये कांटे पर ही करवाना होगा जिसकी तुलाई नगर निगम द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी द्वारा की जायेगी।
38. यूजर चार्जिज एकत्रित करने के लिये ठेकेदार को रसीद बुक नगर निगम की ओर से उपलब्ध करवाई जायेगी तथा ठेकेदार को एकत्रित की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा रखना होगा। ठेकेदार द्वारा एकत्रित की गई राशि को नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी कोष में जमा कराना होगा। नगर निगम द्वारा वैब आधारित रसीद मैनेजमेंट सिस्टम चलाया जा रहा है, ऐजैन्सी को इसी माध्यम से यूजर चार्जिज लेने होंगे।
39. कूड़ा उठाते समय यदि कोई वस्तु, धातू या राशि आदि प्राप्त होती है तो उस पर सरकार का हक होगा।
40. सफल ठेकेदार / ऐजैन्सी सभी वाहनो का रूट चार्ट व समय सारणी नगर निगम में उपलब्ध करवाएगा। ताकि किसी भी समय निगम अधिकारियो द्वारा निरिक्षण किया जा सकें।
41. ठेकेदार/ऐजैन्सी निगम द्वारा निर्धारित स्थानो पर ही कूड़ा इक्कट्टा करेगा।
42. यदि नगर निगम अपने स्तर पर यूजर चार्जिस एकत्रित करना चाहे तो ठेकेदार / ऐजैन्सी इससे सम्बन्धित समस्त रिकोर्ड सूचना व सहयोग निगम को देने के लिए बाध्य हो।
43. नगर निगम द्वारा निर्धारित सफाई टैक्स दरों अनुसार प्रत्येक घर से निर्धारित रसीद की एवज में राशि एकत्र करके प्रतिदिन निगम कोष में जमा करवाना सुनिश्चित करेगा। तदोपरांत ही ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करने उपरांत बिल की अदायगी स्वीकृति टैण्डर के अनुसार निश्चित होगी व नियमानुसार टैक्स काट कर भुगतान किया जायेगा।
44. ठेकेदार कूड़ा उठाने वाले साधनो पर जी0पी0एस0 डिवाइस लगवाना सुनिश्चित करेगा।
45. सभी डस्टबीनो की सफाई करके उनके नीचे सफाई करके नगर निगम क्षेत्र के सभी डस्टबीन व कलैक्शन प्वाइंटो से भी ऐजैन्सी द्वारा कूड़ा उठायेगा।

आयुक्त, नगर निगम को नगर निगम हित में किसी भी समय शर्तों में संशोधन करने, ठेका रद्द करने व ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर ठेके की समाप्ति के पश्चात ठेके की अवधि उक्त शर्तों पर आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।


 कार्यकारी अधिकारी,
 कृते: आयुक्त,
 नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी।